

दिनांक-18.03.2025 को निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दक्षिणी बिहार के पदाधिकारियों के साथ राजस्व समाहरण की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- V.C के माध्यम से।

संशोधित लक्ष्य के अनुसार दिनांक 17.03.2025 तक प्राप्त जिलावार समाहरण निम्न प्रकार है:-

(आँकड़ा लाख रु० में)

क्र०	जिला	दिनांक 13.03.2025 को VC बैठक के उपरांत संशोधित लक्ष्य	दिनांक 17.03.2025 तक प्राप्त राजस्व समाहरण	दिनांक 31.03.2025 तक शेष किया जाने वाला समाहरण
1	भोजपुर	72574.22	57824.4	14749.82
2	रोहतास	45973.95	28671.54	17302.41
3	पटना	59841.83	42001.05	17840.78
4	नालन्दा	6422.99	3449.33	2973.66
5	कैमूर	3198.66	2210.08	988.58
6	बक्सर	2878.04	1836.1	1041.94
7	गया	19592.07	14896.21	4695.86
8	औरंगाबाद	41593.46	23549.94	18043.52
9	नवादा	11174.18	8767.65	2406.53
10	अरवल	16041.8	9957.22	6084.58
11	जहानाबाद	3373.18	1661.26	1711.92
12	शेखपुरा	11048.97	7101.63	3947.34
13	लखीसराय	13229.95	8862.9	4367.05
14	जमुई	18739.82	10656.94	8082.88
15	मुंगेर	3084.24	1547.2	1537.04
16	बेगूसराय	3269.49	1632.91	1636.58
17	खगड़िया	2069.18	982.85	1086.33
18	बाँका	10513.81	5315.98	5197.83
19	भागलपुर	6810.05	3829.71	2980.34

- समीक्षोपरांत पाया गया कि सहायक निदेशक जिला खनन कार्यालय, रोहतास द्वारा 459.74 करोड़ रुपये पुनर्निधारित लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 286.72 करोड़ रुपये की वसूली दिनांक 17.03.2025 तक की गई है, जो काफी कम है। पिछले बैठक में सहायक निदेशक रोहतास द्वारा 365.00 करोड़ रुपये की वसूली दिनांक 31.03.2025 तक करने का आश्वासन दिया गया था। आज समीक्षा के क्रम में मात्र 328.00 करोड़ रुपये का राजस्व

संग्रहण दिनांक 31.03.2025 तक करने का आश्वासन दिया गया, जो कि पूर्व में दिए गये आश्वासन से 37 करोड़ कम है। इस संबंध में सहायक निदेशक, रोहतास से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

- समीक्षा के क्रम में सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को सख्त निदेश दिया गया कि कार्य विभागों द्वारा लघु खनिजों का वृहत पैमाने पर उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कार्य विभागों द्वारा कटौती की गई राशि को खनन विभाग के मुख्य शीर्ष में अविलम्ब जमा कराना सुनिश्चित करें।
- पंचायतीराज विभाग के egramswaraj.gov.in वेबसाइट से जिला/प्रखण्ड/ग्राम पंचायत में खर्च की गई राशि के आलोक में स्वामिस्व एवं मालिकाना फीस की वांछित राशि जमा कराने हेतु उप विकास आयुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड पंचायतीराज पदाधिकारी/पंचायत सचिव से सम्पर्क स्थापित करने का निदेश दिया गया।
- सरकार की कल्याणकारी योजना में भी बड़े पैमाने पर काम हुआ है, इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर वसूली सुनिश्चित कराएँ।
- पुनर्निर्धारित लक्ष्य का शत-प्रतिशत वसूली 31.03.2025 तक हर हालत में हो जानी चाहिए। जिन जिलों द्वारा वसूली में शिथिलता बरती जायेगी, उन जिलों के पदाधिकारियों पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(विनोद वूहने)

निदेशक, खान,

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक :- 1780 / एम0, पटना, दिनांक :- 24/03/25

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, खान